





Jabalpur Dated-----

सूचना

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1162/ आऊशि/ शा के परिपालन मे महविद्यालय में प्रथम वर्ष सत्र 2024-25 मे प्रवेशित समस्त छात्राओ को सूचित किया जाता है की दिनांक 01-07-2024 से 03-07-2024 तक महाविद्यालय में दीक्षारंभ समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें सभी छात्राएँ आमंत्रित हैं। अतः इस तीन दिवसीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में सभी छात्राओ की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्यक्रम का रूपरेखा संलग्न है। मूल दस्तावेजों का सत्यापन कार्य भी इसी समय सीमा मे किया जाना है अतः सभी छात्राएँ मूल दस्तावेज लेकर आयें।


प्रभारी


प्राचार्य

दीक्षारंभ समारोह
(नवप्रवेशित विद्यार्थियों हेतु अभिप्रेरण कार्यक्रम)
सत्र-2024-25

दिनांक : 01/07/2024 से 03 /07/2024

दिवस 1: स्वागत एवं अभिमुखीकरण

समय	गतिविधियाँ
प्रातः 09:00 से 10:00	उपस्थिति/पंजीकरण
10:00 से 11:30	<ul style="list-style-type: none"> उद्घाटन समारोह प्राचार्य/डीन द्वारा स्वागत भाषण, संस्थान का परिचय एवं उसका विज़न मुख्य अतिथि का उद्बोधन
11:30 से 11:45	विराम
11:45 से 12:15	संकाय और कर्मचारियों का परिचय
12:15 से 01:00	परिसर का अवलोकन
01:00 से 02:30	<ul style="list-style-type: none"> एनईपी-2020 के अनुसार शैक्षणिक संरचना और परीक्षा प्रणाली का परिचय वरिष्ठ छात्रों के साथ इंटरैक्टिव सत्र आइस-ब्रेकिंग सत्र

दिवस 2: शैक्षणिक अभिविन्यास


समय	गतिविधियाँ
प्रातः 09:00 से 10:00	<ul style="list-style-type: none"> शैक्षणिक विनियम और दिशा-निर्देश छात्रवृत्ति आदि...
10:00 से 11:30	विभागों और पाठ्यक्रमों का परिचय
11:30 से 11:45	विराम
11:45 से 12:15	प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ एवं डिजिटल संसाधनों का अवलोकन
12:15 से 01:00	पुस्तकालय का भ्रमण
01:00 से 02:30	<ul style="list-style-type: none"> कैरियर परामर्श और प्लेसमेंट सेल का अवलोकन पाठ्येतर गतिविधियों का परिचय, प्रश्नोत्तर सत्र

दिवस 3: विद्यार्थी जीवन और सहायता प्रणाली, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियाँ, परिचय और मार्गदर्शन -

समय	गतिविधियाँ
प्रातः 09:00 से 10:00	<ul style="list-style-type: none"> संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम - संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013) सूचना का अधिकार अधिनियम (2005), लोक सेवा गारंटी अधिनियम (2010) साइबर और बौद्धिक संपदा अधिकार ।



10:00 से 11:30	<ul style="list-style-type: none"> • स्वास्थ्य और कल्याण अभिविन्यास, सुरक्षा और बचाव संबंधी जानकारी, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ • विद्यार्थी सहायता सेवाएँ (छात्रावास, परिवहन, आदि) • विद्यार्थी क्लबों और सोसायटी का परिचय • सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सेवा अभिविन्यास।
11:30 से 11:45	विराम
11:45 से 12:15	<ul style="list-style-type: none"> • पूर्व छात्रों से चर्चा • अनुसंधान के अवसरों का परिचय • प्रतिक्रिया और सुझाव सत्र
12:15 से 01:00	<ul style="list-style-type: none"> • समूह गतिविधियाँ और समूह निर्माण अभ्यास • खेल और फिटनेस गतिविधियाँ • मनोरंजक खेल और प्रतियोगिताएँ
01:00 से 02:30	<ul style="list-style-type: none"> • टैलेंट हंट/शोकेस • सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शन • समापन समारोह।

 24/06/24
(डॉ. अनिल राजपूत)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.